

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक-592/दो-12-01/24(फा.नं.65)

उज्जैन, दिनांक 31 जुलाई, 2025

राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी भोपाल के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 02 एवं 03 अगस्त 2025 को ब्रिलियंट कर्नेशन सेंटर इन्दौर में आयोजित किया जा रहा है, उक्त कार्यक्रम में भागीदारी हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय एवं अन्य प्रदेशों के न्यायमूर्ति महोदय तथा न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यगण भी भाग लेने हेतु पधार रहे हैं एवं उक्त अवधि के दौरान माननीय न्यायमूर्ति महोदय बाबा महाकाल के दर्शन हेतु उज्जैन पधारेंगे।

अतः मुख्यालय उज्जैन पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण दिनांक 01.08.2025 से 04 अगस्त 2025 तक अपरिहार्य कारण के बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

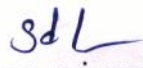
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां० क्रमांक-7757/दो-12-01/24(फा.नं.65)
प्रतिलिपि -

उज्जैन, दिनांक 31 जुलाई, 2025
31 JUL 2025

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला मुख्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती कृतिका अष्ठाना, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उज्जैन की ओर समस्त न्यायाधीशगण के ई-मेल आई.डी. एवं व्हाटसएप पर प्रेषित करने हेतु।


प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)